



न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)
पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 254/2016

बउनवान

नन्दकिशोर आयु 58 वर्ष पुत्र गोरधन जाति मेघवाल निवासी पाठेडा तहसील बारां जिला बारां
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां जिला बारां
(रिस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- श्री सत्येन्द्र जामोदिया अभिभाषक
2- पेरोकार सरकार
(अपीलांट)
(रिस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 30.1.2017

यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा अंतरित की गई है। अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के प्रकरण संख्या 917/2014 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2014 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट को वाके ग्राम पाठेडा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2071 में खसरा नम्बर 1210 की रकबा 0.20 है। भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 110/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 25.5.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रिस्पोडेन्ट को जयें नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अपीलांट का वर्तमान में उक्त विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है, अपीलांट द्वारा उक्त आराजी से कब्जा छोडने संबंधित हल्का पटवारी की रिपोर्ट दि. 15.3.2016 पत्रावली में संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को तामील प्रोपर नहीं करवायी गई और अपीलांट के विरुद्ध एकतरफा निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलांट द्वारा तावान राशि भी जमा करवा दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाबदेही एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया, मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांट को सजायाब किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में गिरफ्तार किया जाकर जेल भिजवा दिया गया है। जो करीबन 10-12 दिन से न्यायिक अभिरक्षा में है। उक्त फसल भी हकवाई जाकर नष्ट कर दी गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय साईक्लोस्टाईल परफोर्मा पर पारित किया है, जो स्पेसिफिक निर्णय की श्रेणी में आता है। अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत पेरोंकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलान्ट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को तामील प्रोपर करवाई गई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अपीलान्ट द्वारा सम्वत् 2070 में भी अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 810/14 में पारित आदेश 21.3.2014 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा बेदखल किया गया था। अपीलान्ट द्वारा पुनः सम्वत् 2071 में किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। पत्रावली में अतिक्रमित रकबा कम है, ओर अपीलान्ट 10-12 दिन से न्यायिक अभिरक्षा में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलान्ट की सजा माफ की जा सकती है।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट को नोटिस की तामील प्रोपर करवाई गयी है। अपीलान्ट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारों में अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये हैं ओर अपीलार्थी को पटवारी के बयानों में जिरह का अवसर नहीं दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाही भी नहीं लिये गये हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनिकी त्रुटी होना पाया जाता है।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारों द्वारा प्रकरण संख्या 917/2014 में पारित आदेश दिनांक 10.11.2014 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलान्ट को उक्त आदेश से दी गई सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर पर माफ किया जाता है, कि अपीलान्ट का यदि अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम पाठेडा तहसील बारों के खसरा नम्बर 1210 की रकबा 0.20 हेक्टेयर भूमि किस्म चारागाह पर वर्तमान में कब्जा है, तो उक्त भूमि से कब्जा छोड़ दे एवं अपीलान्ट को जेल से रिहा किये जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारों के समक्ष 10,000/- रुपये का जमानतनामा व इसी कदर 10,000/- रुपये का स्वयं का मुचलका पेश कर दे, तो तहसीलदार, बारों द्वारा प्रकरण संख्या 917/2014 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित आदेश दिनांक 10.11.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारों द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 30.1.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अति० जिला कलक्टर,
बारां